UPSP010055232026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।</u>

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–538/2026
सरकार बनाम कौसर आदि

संबंधित मु0अ0सं0–142/2026
धारा– 8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना– नकुड़, जिला सहारनपुर

<u>आदेश</u>

<u>24–07–2026</u>

1– प्रार्थी **वसीम** पुत्र जब्बार निवासी देहरा धौलाना हापुड़, जिला हापुड़ की ओर से सम्बन्धित मामले में बरामदा **मोबाईल ओप्पो एफ–31 5जी 8/128 जीबी आईएमईआई नं0 866048081247316** को अपनी सुपुर्दगी में दिये जाने का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मोबाईल का पंजीकृत स्वामी है तथा प्रार्थी का मोबाईल थाना नकुड़ पर रखा हुआ है। जिसके रखे रहने से खराब होने का अन्देशा है तथा प्रार्थी को अपने मोबाईल के बिना काफी परेशानी हो रही है। अतः उक्त मोबाईल के सम्बन्ध में थाना हाजा से आख्या तलब कर उक्त मोबाईल को प्रार्थी के हक में रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2– थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्यानुसार, संलग्न प्रार्थनापत्र वसीम पुत्र नामालूम निवासी देहरा धौलाना हापुड़ जिला हापुड़ की जांच की गयी, तो आवेदक द्वारा अपने पिता का नाम व स्पष्ट पता नहीं दिया गया है एवं उपरोक्त मुकदमे में मोबाईल ओप्पो एफ–31 जी 8/128 बी आईएमईआई नं0 866048081124316 साक्ष्य संकलन के क्रम में अहम साक्ष्य है व माल मुकदमाती है, जिसे वर्तमान में रिलीज किया जाना उचित नहीं है एवं **अभियुक्त वसीम उपरोक्त थाना हाजा के उपरोक्त मुकदमे में वांछित भी है।**

3– सुना एवं प्रपत्रों तथा सम्बन्धित सत्र वाद की पत्रावली का अवलोकन किया।

4– अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में **मोबाईल ओप्पो एफ–31 आईएमईआई नं0 866048081247316** को उसे सुपुर्द करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थी की ओर से अपने स्वामित्व के सम्बन्ध में स्वयं का शपथपत्र तथा उक्त मोबाईल का क्रय बिल व स्वयं के आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत किये गये हैं। फर्द बरामदगी के अनुसार, मामले में पुलिस द्वारा अभियुक्त **कौशर** को मौके से पकड़े जाने पर उसके कब्जे से **01 किलो 27 ग्राम अवैध स्मैक** तथा पहनी पैंट की दाहिनी जेब से दो अदद मोबाईल पहला सैमसंग कम्पनी आईएमईआई नं0 356284535800858 व 356537895800853 तथा दूसरा **मोबाईल ओप्पो कम्पनी आईएमईआई नं0 866048081247316** व 866048081247308 तथा बायी जेब से 2600/– रूपये नगद बरामद होना तथा गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त कौशर उपरोक्त द्वारा यह बताना कि उसने यह स्मैक अपने पार्टनर अभियुक्त **वसीम निवासी देहरा लोनी के पास जनपद गाजियाबाद** के माध्यम से अभियुक्त **मुन्ना** से खरीदवाकर मंगायी थी एवं उसके साथ अभियुक्तगण **शौकीन उर्फ काला, मुबीन** व **उस्मान उर्फ काला** भी स्मैक की खरीद–बिक्री व स्मैक की सप्लाई का काम करते हैं तथा स्मैक खरीदने–बेचने व स्मैक के काम में रूपये लगाने में उसका पार्टनर अभियुक्त **इस्तखार उर्फ नकली** है, अभिकथित है। थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्त वसीम उपरोक्त थाना हाजा के उपरोक्त मुकदमे में **वांछित** भी है। विवेचक द्वारा अभियुक्तगण कौशर व मुबीन के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र के अनुसार अभियुक्त **वसीम उर्फ वसीबू पुत्र जब्बार निवासी देहरा थाना धौलाना हापुड़** तथा अभियुक्तगण मुन्ना, शौकीन उर्फ काला, उस्मान उर्फ काला, इस्तखार उर्फ नकली के विरुद्ध मामले की विवेचना प्रचलित है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी वसीम मामले में स्वयं अभियुक्त है तथा वांछित है। **प्रार्थी/अभियुक्त वसीम द्वारा**

प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रश्नगत मोबाईल ओप्पो पर अपना स्वामित्व होना बताया गया है। घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त वसीम का प्रश्नगत मोबाईल अभियुक्त कौशर की जेब से मिलना तथा प्रार्थी/अभियुक्त वसीम द्वारा प्रश्नगत मोबाईल पर स्वयं अपने स्वामित्व को स्वीकारना, उक्त अपराध में उसकी संलिप्तता पर गम्भीर प्रश्नचिह्न लगाता है। उक्त तथ्य को विवेचक द्वारा संज्ञान में लिया जाकर विवेचना किया जाना आवश्यक है।

5– अभियोजन के अनुसार प्रश्नगत मोबाईल फोन की बरामदगी अभियुक्त कौशर के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ स्मैक की बरामदगी के समय घटना स्थल पर हुई है। प्रश्नगत मोबाईल फोन अहम साक्ष्य है तथा माल मुकदमाती है। प्रार्थी/अभियुक्त वसीम तथा सहअभियुक्तगण मुन्ना, शौकीन उर्फ काला, उस्मान उर्फ काला, इस्तखार उर्फ नकली के विरुद्ध मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। उक्त मोबाईल को प्रार्थी/अभियुक्त वसीम की सुपुर्दगी में दिये जाने से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किये जाने की प्रबल सम्भावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत मोबाईल फोन को प्रार्थी/अभियुक्त के हक में रिलीज किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– अतः प्रार्थी वसीम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित प्रपत्रों सहित सम्बन्धित थानाध्यक्ष/विवेचक को प्रेषित की जाये। कार्यालय लिपिक अनुपालन करे।

दिनांक : 24.07.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर ।
जे0ओ0कोड–यू.पी.1704

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.24 15:41:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court, Saharanpur